

nt>

14.07 hrs

FACTORIES (AMENDMENT) BILL,2003

Title: Introduction of the Factories (Amendment) Bill, 2003.

MR. SPEAKER: Item No. 15, Dr. Sahib Singh Verma to move for leave to introduce a Bill.

श्रम मंत्री (डॉ. साहिब सिंह वर्मा) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि कारखाना अधिनियम, 1948 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

...(Interruptions)

MR. SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Factories Act, 1948."

The motion was adopted.

...(Interruptions)

MR SPEAKER: The Minister may now introduce the Bill.

...(Interruptions)

डॉ. साहिब सिंह वर्मा : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ।

...(Interruptions)

- - -

डॉ.विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष जी, मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि श्री जगमोहन को बर्खास्त करने का सवाल ही पैदा नहीं होता।^{â€}(व्यवधान)इस तरह हाउस और वैल में आने से जगमोहन जी या किसी मिनिस्टर को बर्खास्त कर दिया जाए, इसका कोई सवाल ही पैदा नहीं होता।^{â€}(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप अपनी-अपनी जगह पर जाइए।

^{â€}(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह बात ठीक नहीं है, पूरा देश इस तरफ देख रहा है। देश के नागरिक को यह मान्य नहीं है, आप जिस तरीके का बर्ताव यहां कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने यहां भूमिका क्लियर की है कि बर्खास्त करने का कोई प्रश्न ही नहीं है।

^{â€}(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप प्रधानमंत्री जी से चर्चा कर सकते हैं, सदन में इस तरह नहीं कर सकते।

^{â€}(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप अपनी-अपनी जगहों पर जाइए।

^{â€}(व्यवधान)

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI (RAIGANJ): Mr. Speaker, Sir, how can the Bills be introduced in this situation?...(Interruptions)